# ईएसआईसी के डीजी राजकुमार का ऐतिहासिक निर्णय

## तमाम मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को उत्कृष्ट सेवा केन्द्र बनाया जाय, पीपीपी की दुकानदारी नहीं चलेगी, बेहतरीन उपकरणों व स्टाफ़ की कमी तुरंत पूरी की जाय

फ़रीदाबाद (म.मो.) ईएसआई कार्पोरेशन के महानिदेशक राजकुमार आईएएस ने 13 मार्च को न केवल स्थानीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया बल्कि देश भर के 5 ईएसआई मेडिकल कॉलेज के डीन व चिकित्सा अधीक्षकों की बैठक भी यहीं बुला कर करीब 7-8 घंटे तक इस बात पर विचार विमर्श किया कि कैसे वे अपने अंशदाता मज़दूरों को बेहतरीन सेवा दे सकते हैं? उन्हें व्यापारिक अस्पतालों में रैफ़र करने के बजाय, कैसे तमाम तरह के इलाज अपने यहां ही किये जायें।

डीजी ने अपने पहुंचने का समय प्रात: 11 बजे रखा था। उससे पहले उन्होंने बाहर से आये 5 मेडिकल कॉलेजों के डीन को साढ़े आठ बजे पहुंच कर फ़रीदाबाद मैडिकल कॉलेज अस्पताल के एक-एक विभाग का सूक्ष्म निरीक्षण करके तमाम कमियां उन्हें बैठक के दौरान बताने को कहा। लम्बी चली बैठक में सभी डीन साहेबान ने न केवल इस अस्पताल की कमियां व मरीज़ों की समस्यायें बताई बल्कि उसी तरह की अपने-अपने यहां की समस्यायें भी बताई।

डीजी के दिल्ली स्थित कार्यालय में बैठी मेडिकल कमिश्नर कटारिया की चोर चौकड़ी न तो कोई उपकरण खरीदने देती है और न ही आवश्यकता नुसार सामान खरीदती है। हर मांग पर चौकड़ी कहती है कि इसकी क्या आवश्यकता है? इसके बगैर भी तो काम चल सकता है? एमसीआई (मेडिकल काऊंसिल ऑफ़ इन्डिया) जिस चीज़ की अनिवार्यता नहीं बता रही उसे खरीदने की क्या जरूरत है?

वरिष्ठ डॉक्टरों ने डीजी को मीटिंग के लिए समझाया कि एमसीआई की अनिवार्यतायें तो किसी भी मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिये न्यूनतम होती हैं। लेकिन ईएसआई निगम एमसीआई के लिये अस्पताल नहीं चला रहा, अस्पताल तो उन अंशदाताओं के लिये चलाये जा रहे हैं जिनसे निगम नियमित वसूली करता है। पर्याप्त मात्रा में विशेषज्ञ डॉक्टर, बेहतरीन उपकरण व पर्याप्त स्टाफ़ न होने की वजह से मरीज़ों को व्यापारिक अस्पतालों को रैफ़र करना पड़ता है। डॉक्टरों व स्टाफ़ के वेतन की विसंगतियों तथा स्टाफ़ की भर्ती में अनावश्यक देरी की ओर भी डीजी का ध्यान दिलाया गया।

**डीजी हैरान थे कि इतनी सारी बातें एवं कठिनाईयां उन्हें पहले क्यों नहीं बताई तो हैदराबाद के डीन श्रीनिवास ने बताया कि उन्होंने तो एक वर्ष पूर्व उन्हें इस बाबत लिखा था, डीजी ने कहा कि दोबारा लिख भेजते, इस पर डीन ने कहा कि दोबारा भी लिखा था। अब डीजी समझ गये थे कि उनके दफ़्तर में बैठी मेडिकल कमिश्नर कटारिया की चोर चौकड़ी बहुत सी बातें उन तक पहुंचने ही नहीं देती। इस पर डीजी ने कहा कि आइंदा से एक साफ़्ट कॉपी उन्हें सीधे ईमेल किया करें।**

डीजी ने बैठक में बताया कि वे एनसीआर यानी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में रैफ़र होने वाले मरीज़ों के लिये व्यापारिक अस्पतालों को 200 करोड़ सालाना तथा देश भर में 1000 करोड़ सालाना खर्च कर रहे हें। उन्हें शायद यह पता नहीं होगा कि कार्पोरेशन के अलावा मरीज़ों से भी ये व्यापारिक अस्पताल अच्छी-खासी रकम झाड़ लेते हैं। फ़िर भी, डीजी ने अपने भुगतान का हवाला देते हुए साफ़ शब्दों में कहा कि इतनी बड़ी रकम प्रति वर्ष उन अस्पतालों को देने की बजाय यदि इसी रकम को अपने अस्पतालों की बेहतरी के लिये खर्च करें तो ईएसआई के अस्पताल भी उत्कृष्ट श्रेणी के बन सकते हैं।

राजकुमार (डीजी) ईएसआईसी : ऐतिहासिक पहल

इसके लिये डीजी ने निर्णय लिया कि बढिया से बढिया, सभी तरह के विशेषज्ञ डॉक्टर तुरंत भर्ती करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायें। इन सभी डॉक्टरों को एम्स दिल्ली की तर्ज पर वेतन, भत्ते, पदोन्नति तथा अन्य सुविधायें दी जायेंगी। तमाम तरह के उपकरणों की खरीद का निर्णय तुरन्त प्रभाव से कटारिया की चंडाल चौकड़ी की बजाय देश के 6 डीन की कमेटी द्वारा लिया जायेगा। अपने-अपने अस्पतालों के लिये आवश्यक तमाम तरह के स्टाफ़ की भर्ती अस्थाई तौर पर डीन तुरन्त कर सकेंगे, जिनके वेतन नियमित स्टाफ़ के बराबर होंगे।

**बैठक में उपस्थित कटारिया चंडाल चौकड़ी की ओर इशारा करते हुए डीजी ने कहा कि यदि ऊंचे पदों पर बैठे पुराने लोगों से काम नहीं चल पायेगा तो नये उर्जावान युवाओं को ऊंचे पदों पर तैनात करने में देर नहीं लगायेंगे। केवल अपनी वरिष्ठता के आधार पर ऊंचे पदों पर काबिज कटारिया जैसे निकम्मे अफ़सरों के लिये यह स्पष्ट खतरे की घंटी थी। सूत्र बताते हैं कि प्रक्रिया सम्बंधी जो फ़ाइलें आगे बढती ही नहीं थी उन्हें गतिमान करने के लिये खुद डीजी व चोर चौकड़ी सहित तमाम स्टाफ़ रात आठ-आठ बजे तक बैठ कर फ़ाइलों को निपटा रहे हैं।**

पीपीपी मोड यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को डीजी ने विशुद्ध मुनाफ़ाखोरी वाली दुकानदारी मानते हुए इसे बंद करने की प्रक्रिया को तुरन्त शुरू करा दिया है। इस पीपीपी मोड में न तो मरीज़ों को पूरा लाभ मिलता है और न ही डॉक्टरी पढने वाले छात्र कुछ सीख पाते हैं। पार्ट टाइम डॉक्टरों को उन्होंने शिकारी माना। ऐसे डॉक्टर ईएसआई के अस्पतालों से अपने निजी अस्पतालों के लिये शिकार फ़ंसाकर ले जाते हैं। इस लिये ऐसे डॉक्टरों की अपेक्षा स्थाई डॉक्टरों को रखा जाय।

विदित है कि डीन एवं तमाम फ़ैकल्टी के न चाहते हुए भी कटारिया की चोर चौकड़ी ने फरीदाबाद के अस्पताल का आईसीयू (सघन देखरेख इकाई) तथा डायलेसिस का काम पीपीपी का धंधा करने वाले व्यापारियों को बेच दिया था। इसके अलावा गत 3 वर्षों से एमआरआई व सीटी स्कैन के लिये भी पीपीपी के व्यापारियों को ढूंढ पाने में जब विफ़ल हो गई यह चौकड़ी तब रोते-पीटते उक्त उपकरण खरीदने की एक नकली सी प्रक्रिया शुरू की जो ठप्प हो गई। इसे अब नये सिरे से शुरू किया जायेगा।

डीजी महोदय को यह बुनियादी तथ्य भी समझ में आ गया कि किसी भी बड़े और उत्कृष्ट सेवा देने वाले अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। 18-20 घंटे तक काम करने की क्षमता व इच्छा रखने वाले ये युवा डॉक्टर केवल वहीं टिकते हैं जहां सीखने-सिखाने का माहौल हो, रैफ़र करने वाले अस्पतालों में ये लोग कुछ नहीं सीख पाते, इसलिये वहां केवल वही रेजीडेंट डॉक्टर रूके रहते हैं जिन्हें कहीं और ठौर नहीं; मौका मिलते ही तुरन्त यहां से छोड़ भागते हैं। इसी तथ्य का संज्ञान लेते हुए डीजी ने मैडिकल कॉलेज में पीजी (स्नातकोत्तर) की पढाई कराने का भी निर्णय लिया। इससे जहां अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढेगी, मरीज़ों को भी बेहतरीन चिकित्सा उपलब्ध होगी। हां, चिकित्सा व्यापारियों व उनसे कमीशन खाने वालों को जरूर घाटा होगा।

'मज़दूर मोर्चा' को नियमित पढने वाले पाठक अवश्य समझ गये होंगे कि जिन मुद्दों को लेकर यह छोटा सा अखबार वर्षों से मज़दूरों की ईएसआई चिकित्सा सम्बन्धी आवाज़ को बुलंद करता आ रहा है, उसकी सुनवाई तो हुई है, बाकी देखना यह है कि कब तक और क्या-क्या साकार हो पाता है, समय ही बतायेगा। इस दिशा में 'मोर्चा' सतत लगा रहेगा।

## निकम्मी हरियाणा सरकार का निकृष्ट ईएसआई हेल्थ केयर विभाग

**फ़रीदाबाद (म.मो.)** हरियाणा भर के करीब 30 लाख मज़दूरों से करीब तीन-साढे तीन हज़ार करोड़ सालाना ईएसआई निगम वसूलता है। इसके बदले निगम हरियाणा सरकार को ईएसआई हेल्थ केयर के कुल बजट का 88 प्रतिशत देने को प्रतिबद्ध है। यानी ईएसआई अंशदाताओं को ईएसआई नियमावली के अनुसार हरियाणा सरकार जो भी बजट बनायेगी उसका 88 प्रतिशत भाग ईएसआई निगम देने को प्रतिबद्ध है। जबकि हरियाणा सरकार का रवैया ऐसा रहा है जैसे उनके गले में अनचाही मुसीबत पड़ गयी हो।

ईएसआई नियमावली के अनुसार 30 लाख अंशदाताओं के लिये कम से कम 1500 डॉक्टर व 7500 अन्य स्टाफ़ डिस्पेंसरियों में तथा कम से कम 500 डॉक्टर व 2500 अन्य स्टाफ़ अस्पतालों के लिये चाहिये। लेकिन राज्य भर की तमाम ईएसआई डिस्पेंसरियों व अस्पतालों में डॉक्टरों की कुल संख्या 300 व अन्य स्टाफ़ की 400 भी नहीं है। मजे की बात तो यह है कि इन तमाम पदों के लिये भर्ती हरियाणा सरकार ने करनी है, इनके काम करने के लिये डिस्पेंसरियों व असपतालों के लिये आवश्यक इमारतों का निर्माण कार्य ईएसआई निगम को करके देना होता है परन्तु हरियाणा सरकार ने इस तरह के कोई काम करने व कराने में कभी कोई रूचि नहीं ली।

चिकित्सा से सम्बन्धित तमाम बढिया से बढिया उपकरण व दवायें आदि खरीदने का दायित्व भी राज्य सरकार का ही है। इन सब कामों को करने के लिये राज्य सरकार को बजट बनाना व खर्च करना चाहिये करीब 1000-1200 करोड़। स्वीकृत फ़ार्मूले के अनुसार 1200 करोड़ के कुल बजट में से राज्य सरकार को अपने पल्ले से महज 150 करोड़ लगाने पड़ेंगे शेष 1050 करोड़ निगम को देना होता है लेकिन राज्य के मूर्ख एवं जनविरोधी शासक वर्ग द्वारा यह बजट बनाया जाता है कुल 100-150 करोड़ का वर्ष 2017-18 का बजट बनाया गया था कुल 200 करोड़ का इसमें अनुमानित खर्च हुआ करीब 130 करोड़। इस बार का बजट प्रस्ताव 200 से घटा कर 160 करोड़ का कर दिया गया है। जाहिर है खर्च फ़िर वही 130 करोड़ के आस-पास ही होगा।

हरियाणा के मूर्ख एवं जन विरोधी शासक वर्ग की हरामखोरी के चलते राज्य के उन मज़दूर परिवारों को आवश्यक चिकित्सा सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं जिनके लिये वे अग्रिम भुगतान कर चुके हैं, दूसरे, करीब 12000 उन पदों को राज्य सरकार ने रिक्त छोड़ रखा है जिनका 88 प्रतिशत खर्च निगम ने देना है। इससे निगम का खजाना दिन दूना रात चौगुणा फल-फूल कर 75000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है जबकि श्रमिक अग्रिम पैसे देकर भी अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं।

दूसरे शब्दों में समीकरण कुछ यूं बनता है- बारह हज़ार रोज़गार गायब और लाखों मरीज स्वास्थ्य सेवा से वंचित!

## फ़रीदाबाद पुलिस अब भी हाईवे मौतों और शराब तस्करी के असल स्रोतों को अभयदान देने की परंपरा पर कायम है!

फ़रीदाबाद (म. मो.) रेवाड़ी के मायन गाँव का चालीस वर्षीय ट्रक चालक रवीन्द्र बारह मार्च की देर रात मेवला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन के पास 6 लेन दिल्ली-आगरा हाईवे को पैदल पार कर रहा था कि उसे एक मोटर साइकिल ने टक्कर मार दी और उसकी मृत्यु हो गयी. मोटर साइकिल चालक चंद्रशेखर भी हादसे में घायल हो गया।

पुलिस रिवाज के मुताबिक सड़क दुर्घटना में मृत्यु का मुकदमा बढ़े वाहन, यानी मोटर साइकिल सवार के विरुद्ध दर्ज कर लिया गया. अँधेरे में डूबे इतने व्यस्त हाईवे की छह लेन पार करना अपनी जान जोखिम में डालने से कम नहीं होता. रवीन्द्र जैसे हजारों लोगों को रोज यह जोखिम लेना पड़ता है क्योंकि मोदी सरकार के काबिल मंत्री नितिन गडकरी की एनएचएआई ने हजारों करोड़ की लागत से नए बने राजमार्ग पर वाहनों को गति तेज करने की सुविधा तो दे दी लेकिन पैदल या दोपहिया वाहनों के लिए सड़क पार करने के सुरक्षित रास्ते बनाये ही नहीं।

यही नहीं, न सड़क पर रोशनी की व्यवस्था की गयी है कि तेज गति वाहन चालकों को अचानक सड़क पार करते लोग नजर आ सकें, और न हाईवे के मध्य में ग्रिल अवरोधक लगाये गए हैं जो मनमर्जी से सड़क पार करने का प्रयास करने वालों को इस दुस्साहस से दूर रख सकें। लिहाजा, क्या आश्चर्य कि मौजूदा मामले में न रवीन्द्र को मोटर साइकिल नजर आयी और न चंद्रशेखर को रवीन्द्र नजर आया।

आश्चर्य यह जरूर है कि फरीदाबाद पुलिस को एनएचएआई अमले की उपरोक्त आपराधिक करतूतें क्यों नहीं नजर आयीं जिनके चलते रवीन्द्र की मौत हुयी। पुलिस ने बस मोटर साइकिल सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। जबकि हरियाणा के 70 किलोमीटर से गुजरते इस हाईवे पर रवीन्द्र जैसी मौतों की संख्या प्रतिवर्ष दो सौ तक जा पहुँचती है।

यहाँ तक कि जहाँ-जहाँ ओवर ब्रिज बने हैं वहां भी साइड में अनावश्यक रूप से जाम लगा रहता है। महज इसलिए क्योंकि पहले की सड़क और सर्विस लेन का कोई रखरखाव नहीं होता और उन पर अनधिकृत पार्किंग की धड़ल्ले से छूट है. अभयदान का एक और नमूना देखिये। 14 मार्च दोपहर अंग्रेजी शराब की पेटियों से लदा गुजरात का एक टैंकर सीकरी चौक पर फरीदाबाद पुलिस की पीसीआर को टक्कर मार कर निकल गया।

इस हाईवे का इस्तेमाल गांधी के नाम पर 'शराब बंदी' वाले गुजरात के शराब तस्कर धड़ल्ले से करते आ रहे हैं। सर्व विदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के गृह राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद 'जहाँ चाहो जब चाहो शराब हाजिर' की पूर्णकालिक व्यवस्था मिलती है।

अनुमान है कि गुजरात में शराब का अवैध वार्षिक कारोबार पचीस हजार करोड़ का होता है और मुनाफा सत्ताधारियों, आबकारी व पुलिस कर्मियों और तस्करों में बाँट लिया जाता है। मौजूदा मामले में टैंकर बाद में प्याला सड़क पर लावारिस हालत में मिला। उसमें अंग्रेजी शराब की 387 पेटी रखी थीं। इस मामले में फरीदाबाद पुलिस भी अंततः ड्राईवर या अधिक से अधिक टैंकर मालिक का चालान कर पल्ला झाड़ लेगी। सवाल है जहाँ से शराब चली थी और जहाँ पहुंचनी थी, जिन रसूखदारों के बीच मुनाफा बंटना था, क्या उन्हें भी पूछताछ के दायरे में लाया जाएगा? यदि रास्ते भर की पुलिस ऐसा करने लगे तो मोदी के गुजरात में वास्तव में सूखा न पड़ जाये!

**उपरोक्त दोनों मामलों में हुयी रूटीन कार्यवाही को देखते हुए फिलहाल तो यही कहना पड़ेगा कि फरीदाबाद पुलिस भी हाईवे मौतों और शराब तस्करी के असली अपराधियों को अभयदान देने की चली आ रही परंपरा पर ही कायम है!**

### हाई कोर्ट की भी परवाह नहीं एनएचएआई को, सो रही पुलिस

**10 फ़रवरी 2014** को मनोज वधवा अपनी पत्नी व 3 वर्षीय बेटे पवित्र के साथ बल्लबगढ से फ़रीदाबाद की ओर अपने स्कूटर से आ रहे थे। बाटा मोड़ पर उनका स्कूटर पानी से भरे गड्ढों में फ़ंस कर अनियन्त्रित हो गया। तीनों सड़क पर गिर गये। मनोज को जब होश आया तो देखा कि उनकी पत्नी कहीं पड़ी है और बेटा कहीं। पीछे से आ रहे एक वाहन ने पत्नी की टांगे व बेटे को कुचल दिया। बेटे की मौके पर ही मौत हो गयी और पत्नी की दोनों टांगे काटनी पड़ी।

बहुत दबाव पड़ने पर पुलिस ने अपनी कार्यशैली की पुरानी लकीर पीटते हुए उस अज्ञात वाहन के विरुद्ध सड़क दुर्घटना का मुकदमा दर्ज कर दिया जिसने मां-बेटे को कुचला था। लेकिन मनोज वधवा इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उन उन असल दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की मांग की जिनकी हरामखोरी एवं लापरवाही से राजमार्ग पर बने गड्ढों में फ़ंस कर स्कूटर गिरने से यह हादसा हुआ।

मामले में करीब साढे तीन साल पूर्व हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद न तो पुलिस ने एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के विरुद्ध कोई कार्यवाही की और न ही उस ठेकेदार के विरुद्ध जो सड़क निर्माण के नाम पर रोज़ाना करोड़ों का टोल टैक्स गत 7 वर्षों से वसूलता आ रहा है। अब 15 मार्च को फ़िर हाई कोर्ट ने फ़रीदाबाद के पुलिस कमिश्नर व एनएचएआई से कार्यवाही रिपोर्ट तलब की है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06